उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-3
संख्या-16/2017/एस-434/दस-2017-ब(8)/2015
लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के आयोजनेत्तर पक्ष के अधोलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय एवं तत्क्रम में हुई बचत जिसका लेखाशीर्षक वार/मदवार विस्तृत विवरण अनुलग्नक -1,2,3,4 में प्रदर्शित किया गया है की कुल धनराशि रू0 970121 हजार(रूपये सत्तानबे करोड एक लाख इक्कीस हजार मात्र) को एततद्वारा वित्त विभाग में पुनर्ग्रहित किया जाता है:-

क्रं0	लेखाशीर्षक	प्राविधानित धनराशि(मूल/अनुपूरक/नई मांग पुनर्विनियोग)	व्यय धनराशि	बचत धनराशि जिसे पुनर्ग्रहित किया जाना है।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
क	आयोजनेत्तर				
1	आयोजनेत्तर-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन- आयोजनेत्तर-095-लेखा तथा खजाना निदेशालय	244285	144771	99514	प्राविधानित धनराशि/व्यय/बचत का विवरण अनुलग्नक-1 संलग्न है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	-03-कोषागार निदेशालय				
2	2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर- 097- खजाना स्थापना -03-मुख्य	2540325	1695561	844764	प्राविधानित धनराशि/व्यय/बचत का विवरण अनुलग्नक-2 संलग्न है।
3	2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर- 097- खजाना स्थापना -04 कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण -0401 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवायें ।	10000	757	9243	प्राविधानित धनराशि/व्यय/बचत का विवरण अनुलग्नक-3 संलग्न है।
4	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनेत्तर- 01- कार्यालय भवन-051 निर्माण-03 प्रदेश के विभिन्न कोषागारों/ उपकोषागारों में विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य- 24 वृहद निर्माण कार्य	20000	3400	16600	प्राविधानित धनराशि/व्यय/बचत का विवरण अनुलग्नक-4 संलग्न है।
	योग			970121	

(रूपये सत्तनाबे करोड. एक लाख इक्कीस हजार मात्र)

(राज रतन)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-16/2017 /एस-3-434(1)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेख-परीक्षा) अनुभाग-1
6- निदेशक, कोषागार उ0प्र0। लखनऊ ।
7- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पत्र संख्या 16/2017/एस-434/दस-2017-ब(8)/2015 का संलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2016-17
अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत
लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन- आयोजनेत्तर
-095-खजाना तथा लेखा निदेशालय
-03-कोषागार निदेशालय"

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समायोजित की जाने वाली धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
1	01-वेतन	80000	80000			80000	56517	23483	-2535	20948	1. कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय एवं अपर निदेशक कार्यालयों में वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्मिकों को रख गया जिसके कारण बचत हुई । 2. चिकित्सा व्यय में खर्च अधिक होने के कारण शासनादेश सं0 बी-3-1897/दस-2010-100(4)-ब.मै.-टी0सी0-11, दिनांक 21-06-2010 के अन्तर्गत ग्रुपिंग के अन्तर्गत रू02535 हजार का अधिक व्यय हुआ, जिस मानक मद -01 वेतन से समायोजित कर लिया गया।
2	02-मजदूरी	300	300			300	115	185		185	इस मद में व्यय कम होने के कारण बचत हुई।
3	03-महगाई भत्ता	108800	108800			108800	47143	61657		61657	कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय एवं अपर निदेशक कार्यालयों में वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्मिकों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समायोजित की जाने वाली धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
											रख गया जिसके कारण बचत हुई
4	04-यात्रा भत्ता	2000	2000			2000	955	1045		1045	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।
5	05-स्था0या0 भ0	500	500			500	261	239		239	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण न होने के कारण इस मद में व्यय कम हुआ, जिसके कारण बचत हुई ।
6	06-अन्य भत्ते	10500	10500			10500	5582	4918		4918	कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय एवं अपर निदेशक कार्यालयों में वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्मिकों को रखा गया जिसके कारण बचत हुई ।
7	07-मानदेय	60	60			60	50	10		10	कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय एवं अपर निदेशक कार्यालयों में वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्मिकों को रखा गया जिसके कारण बचत हुई ।
8	08-कार्या0 व्यय	6000	6000			6000	5593	407		407	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।
9	09-विद्युत	2500	2500			2500	2102	398		398	विद्युत देय में खर्चे कम आने के कारण बचत हुई।
10	10-जलकर	300	300			300	14	286		286	जलकर में टैक्स कम आने के कारण बचत हुई ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समायोजित की जाने वाली धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
11	11-लेखन सामग्री	2000	2000			2000	1240	760		760	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।
12	12-का0 फर्नीचर	1500	1500			1500	1299	201		201	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।
13	13-टेलीफोन	1600	1600			1600	1039	561		561	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।
14	14-स्टाफ कार का क्रय	675	675			675	0	675		675	कोषागार निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 01 वाहन का प्रतिस्थापन किया जाना था। शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण इस मद में बचत हुयी।
15	15-पेट्रोल	5000	5000			5000	3435	1565		1565	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।
16	16-विशेष सेवायें	10000	10000			10000	7457	2543		2543	शिविर कार्यलय में गेस्ट हाउस के संचालन के लिए 06 चपरासी/चौकीदार /कुक /माली बजट प्राविधान किया गया था, परन्तु शासन से पदों को भरे जाने के लिए स्वीकृति न मिलने के कारण धनराशि का व्यय नही हो सका, जिसके कारण इतनी बचत हुई, जिसे समर्पित किया जा रहा है।
17	17-भवन किराया	1200	1200			1200	972	228		228	अपर निदेशक कार्यालयों के नये भवनों में स्थानान्तरित होने के कारण धनराशि की बचत हुयी, जिसे समर्पित किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समायोजित की जाने वाली धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
18	26-साज सज्जा	2000	2000			2000	982	1018		1018	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।
19	29-अनुरक्षण	2000	2000			2000	1987	13		13	
20	42-अन्य व्यय	200	200			200	0	200		200	किसी प्रकार की हानि अथवा अर्थदण्ड न लगने के कारण बचत हुयी, जिसे समर्पित किया जा रहा है।
21	44-प्रशिक्षण व्यय	500	500			500	11	489		489	कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय एवं अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन कार्यालयों के अधिकारियो/कर्मचारियों के इस वर्ष अधिक मात्रा में प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित न होने के कारण बचत हुई, जिसे समर्पित किया जा रहा है
22	45- अ0 यात्रा सुविधा	300	300			300	0	300		300	कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय एवं अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन कार्यालयों के अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ न लेने के कारण बचत हुई, जिसे समर्पित किया जा रहा है।
23	46-कम्प्यू0 हार्डवेयर	500	500			500	451	49		49	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समायोजित की जाने वाली धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
24	47-कम्प्यू0 अनु0/ स्टेश0	4000	4000			4000	3226	774		774	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।
25	49-चिकित्सा व्यय	1800	1800			1800	4335	-2535	2535	0	चिकित्सा व्यय में खर्च अधिक होने के कारण शासनादेश सं0 बी-3-1897/दस-2010-100(4)-ब.मै.-टी0सी0-11, दिनांक 21-06-2010 के अन्तर्गत ग्रुपिंग के अन्तर्गत रू0 2535 हजार का अधिक व्यय हुआ, जिस मानक मद-01 वेतन से समायोजित कर लिया गया।
26	51-वर्दी व्यय	50	50			50	5	45		45	कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय एवं अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालको के सेवानिवृत्त होने के कारण उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों को रखा गया, जिन्हे सरकारी वर्दी नही दी जाती है। अतः व्यय न होने के कारण बचत हुई, जिसे समर्पित किया जा रहा है।
	योग	244285	244285	0	0	244285	144771	99514	0	99514	

(रूपये नौ करोड. पच्चानबे लाख चौदह हजार मात्र)

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पत्र संख्या 16/2017/एस-434/दस-2017-ब(8)/2015 का संलग्नक -2

वित्तीय वर्ष 2016-17

अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत

लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन- आयोजनेत्तर

-097- खजाना स्थापना

-03 "मुख्य"

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समायोजित की जाने वाली धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
1	01-वेतन	900000	900000		-30900	869100	733824	135276	-4491	130785	शासनादेश सं0 बी-3-1897/दस-2010-100(4)-ब.मै.-टी0सी0-11, दिनांक 21-06-2010 के अन्तर्गत मानक मद-49 चिकित्सा व्यय में रू0 4491 हजार की धनराशि ग्रुपिंग करते हुए आहरण की गई व तदनुसार ही ग्रुपिंग की धनराशि को घटाते हुए समर्पण किया जा रहा है। 2- कोषागार में भारी संख्या में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण एवं नई भर्ती न हो पाने के कारण बचत हुई ।
2	02-मजदूरी	700	700			700	20	680		680	इस मद में व्यय कम होने के कारण बचत हुई।
3	03-महगाई भत्ता	1224000	1224000			1224000	603044	620956		620956	कोषागारों में भारी संख्या में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण एवं नई भर्ती न हो पाने के कारण बचत हुई ।
4	04-यात्रा भत्ता	8500	8500			8500	6931	1569		1569	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समायोजित की जाने वाली धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
5	05-स्था0या0भ0	1500	1500			1500	975	525		525	
6	06-अन्य भत्ते	108000	108000			108000	53700	54300		54300	कोषागारों में भारी संख्या में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण एवं नई भर्ती न हो पाने के कारण बचत हुई
7	07-मानदेय	25000	25000		26900	51900	51702	198		198	कोषागारों में भारी संख्या में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण एवं नई भर्ती न हो पाने के कारण बचत हुई
8	08-कार्या0 व्यय	36000	36000			36000	28353	7647	-27	7620	शासनादेश सं0 बी-3-1897/दस-2010-100(4)-ब.मै.-टी0सी0-11, दिनांक 21-06-2010 के अन्तर्गत मानक मद-11 लेखन सामग्री में रू0 27 हजार की धनराशि का अतिरिक्त व्यय मानक मद सं0-08 कार्या0 व्यय में से ग्रुपिंग के अन्तर्गत किया गया है।
9	09-विद्युत	18000	18000			18000	17848	152		152	
10	10-जलकर	2000	2000			2000	1336	664	-327	337	शासनादेश सं0 बी-3-1897/दस-2010-100(4)-ब.मै.-टी0सी0-11, दिनांक 21-06-2010 के अन्तर्गत मानक मद-17 भवन किराया में रू0 327 हजार की धनराशि ग्रुपिंग के अन्तर्गत आहरण की गई व तदनुसार ही ग्रुपिंग की धनराशि को घटाते हुए समर्पण किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समायोजित की जाने वाली धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
11	11-लेखन सामग्री	8000	8000			8000	8027	-27	27	0	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।
12	12-का0 फर्नीचर	5000	5000			5000	4995	5		5	
13	13-टेलीफोन	4500	4500			4500	2736	1764		1764	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।
14	14-स्टाफ कार का क्रय	4725	4725			4725	0	4725		4725	
15	15-पेट्रोल	10000	10000			10000	8881	1119		1119	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।
16	16-विशेष सेवायें	36000	36000		4000	40000	38582	1418		1418	वाद व्यय में खर्च कम आने के कारण बचत हुई ।
17	17-भवन किराया	400	400			400	727	-327	327	0	शासनादेश सं0 बी-3-1897/दस-2010-100(4)-ब.मै.-टी0सी0-11, दिनांक 21-06-2010 के अन्तर्गत ग्रुपिंग के अन्तर्गत आहरण की गई व तदनुसार ही ग्रुपिंग की धनराशि को घटाते हुए समर्पण किया जा रहा है।
18	26-साज सज्जा	5000	5000			5000	2616	2384		2384	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समायोजित की जाने वाली धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
19	29-अनुरक्षण	37000	37000			37000	28503	8497		8497	विधान सभा चुनाव के कारण अधिसूचना लागू होने के कारण कतिपय अनुरक्षण कार्य की स्वीकृति प्रदान नही की जा सकी, जिसके कारण बचत हुई ।
20	42-अन्य व्यय	200	200			200	0	200		200	किसी प्रकार की हानि अथवा अर्थदण्ड न लगने के कारण बचत हुयी, जिसे समर्पित किया जा रहा है।
21	44-प्रशिक्षण व्यय	4000	4000			4000	2045	1955		1955	कोषागार कार्यालयों के अधिकारियो/कर्मचारियों के इस वर्ष अधिक मात्रा में प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित न होने के कारण बचत हुई, जिसे समर्पित किया जा रहा है।
22	45- अ0 यात्रा सुविधा	1000	1000			1000	199	801		801	कोषागार कार्यालयों के अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ न लेने के कारण बचत हुई, जिसे समर्पित किया जा रहा है।
23	46-कम्प्यू0 हार्डवेयर	45000	45000			45000	41427	3573		3573	
24	47-कम्प्यू0 अनु0/ स्टेश0	35000	35000			35000	34426	574		574	मितव्ययी मदों में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समायोजित की जाने वाली धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
25	49-चिकित्सा व्यय	20000	20000			20000	24491	-4491	4491	0	शासनादेश सं0 बी-3-1897/दस-2010-100(4)-ब.मै.-टी0सी0-11, दिनांक 21-06-2010 के अन्तर्गत मानक मद -49 चिकित्सा व्यय में रू0 4491 हजार की धनराशि का अतिरिक्त व्यय मानक मद-01 वेतन में से ग्रुपिंग के अन्तर्गत किया गया है।
26	51-वर्दी व्यय	800	800			800	173	627		627	कोषागार कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालको के सेवानिवृत्त होने के कारण उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों को रखा गया, जिन्हे सरकारी वर्दी नही दी जाती है। अत: व्यय न होने के कारण बचत हुई, जिसे समर्पित किया जा रहा है।
	योग	2540325	2540325	0	0	2540325	1695561	844764	0	844764	

(रूपये चौरासी करोड. सैतालीस लाख चौसठ हजार मात्र)

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पत्र संख्या 16/2017/एस-434/दस-2017-ब(8)/2015 का संलग्नक -3

वित्तीय वर्ष 2016-17
अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत
लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन- आयोजनेत्तर
-097- खजाना स्थापना
-03 "मुख्य"
04-कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण
0401-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवायें (धनराशि हजार रूपये में)

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
1	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10000	10000	0	0	10000	757	9243	9243	एन0आई0सी0 द्वारा प्रोग्रामर/जूनियर प्रोग्रामर की दी जा रही सेंवाओं में बचत के कारण ।

(रूपये बानबे लाख तैतालिस हजार मात्र)

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पत्र संख्या 16/2017/एस-434/दस-2017-ब(8)/2015 का संलग्नक -4

वित्तीय वर्ष 2016-17
अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत
लेखाशीर्षक "4059-लाेक निर्माण कार्य पर पंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर
01-कार्यालय भवन
051-निर्माण
03-प्रदेश के विभिन्न कोषागारों/ उपकोषागारों में विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य" (धनराशि हजार रूपये में)

क्रमांक	मानक मद/कोड	बजट प्राविधान	शासन द्वारा की गयी स्वीकृतियां	अनुपूरक से प्राप्त स्वीकृतियां	पुर्नविनियोग द्वारा संक्रमित धनराशि	पुर्नविनियोग के पश्चात उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	समर्पित की जा रही धनराशि	टिप्पणी
1	24-वृहत्त निर्माण	20000	20000	0	0	20000	3400	16600	16600	विधान सभा चुनाव के कारण अधिसूचना लागू होने के कारण कतिपय निर्माण कार्य को पूर्ण नही कराया जा सका एवं न ही नये निर्माण कार्यो की स्वीकृति प्रदान नही की जा सकी, जिसके कारण बचत हुई ।

(रूपये एक करोड. छाछठ लाख मात्र)

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in